

श्री अशोक गांगुली,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा २

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा क्र. 2 तदुत्तर क्र. 2
प्रति विहार नई दिल्ली ।

सिद्धा 171 अनुमान

संज्ञक: दिनांक: 15 अप्रैल, 1993


विषय :-

एन इण्टर नेशनल स्कूल पलिया कला, धीरी को सीठवीउस्तोई नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि एन इण्टर नेशनल स्कूल पलिया कला धीरी को सीठवीउस्तोई नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सीताकटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभाजन कक्षाओं के लिए निर्धारित गुणक से अधिक गुणक नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वित्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिषद/कोतिल से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान रकत: समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था के अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त प्रशासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।



CHAIRMAN
Doon International Sr. Sec. School
Palia (Kheri) U.P.


PRINCIPAL

Doon International Sr. Sec. School
Palia Kalan - Kheri

17। राज्य सरकार द्वारा तमस तमस पर जो भी आदेशानिर्गत किये जायें, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संश्लिष्टाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुधानिमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा कउ हूनिष्ठित किया जाय कि संस्था के लिए विज्ञान कक्ष/प्रयोगशाला का माप निर्धारित की गई कमवाकर शासन को एक कम में अक्षात कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय बंध पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुक वा शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा कदम उठाया प्रमाण पर पावत ले लिया जायेगा ।

PRINCIPAL
Doon International Sr. Sec. School
Palia Kalan - Kheri

CHAIRMAN
Doon International Sr. Sec. School
Palia (Kheri) U.P.

भारतीय,

आओ नंगुली।
उच सचिव ।

सूचो 4305111/15-7-1993 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाई एवं आध्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- श्री प्रमुखीय उच शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, लून क्वटर नेशनल स्कूल पालिया कला खीरी ।